(24)

न्यायालय - माननीय राजस्व मंडल महोदय , ग्वालियर म. प्र. कैम्प भोपाल.
= =

प्र. क्र. /2017 निग. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/3861

सुंदरलाल पुत्र रघुनाथ अहिरवार, नि. -
ग्राम - सुआखेड़ी, तह - गुलाबगंज, जिला -
विदिशा (म. प्र.) --- निगरानीकर्ता

बनाम

1. दयाराम पुत्र धर्मदेवसिंह यादव,
2. बच्चा यादव पुत्र धर्मदेवसिंह यादव,
3. श्रीमति इंद्रासनी बेवा धर्मदेव सिंह यादव,
4. पंकज यादव पुत्र मनोज यादव,
5. नीरज पुत्र मनोज यादव,
निवासी - सभी स्वर्णकार कॉलोनी, नगर
विदिशा, तह. व जिला - विदिशा (म. प्र.)
6. श्रीमति सोना यादव पुत्री धर्मदेवसिंह यादव,
नि. - मिर्जापुर, तह. व जिला - विदिशा
(म. प्र.)
7. अमान पुत्र बक्ता अहिरवार,
8. भंवरलाल पुत्र बक्ता अहिरवार, निवासी -
ग्राम - सुआखेड़ी, तह. - गुलाबगंज,
जिला - विदिशा (म. प्र.) ---- रिस्पां. गण

(7)

अभिभाषक श्री के. एस. राजपूत
द्वारा आज दिनांक 9/10/17
को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म. प्र. भू. रा. संहिता, 1959
- -

माननीय महोदय,

सेवा में यह निगरानी अधिनस्त न्यायालय श्रीमान् एस. डी. ओ. महोदय, ग्यारसपुर, जिला - विदिशा के रा. प्र. क्र. 10 अपील 2016-17 व मामले सुंदरलाल बनाम धर्मदेवसिंह ग्राम - सुआखेड़ी में पारित आदेश दि. 15.9.17 के विरूद्ध अंदर म्याद पेश की जा रही है। --2

(3)

[redacted] नि. सुन्दरलाल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / विदिशा / भू0रा0 / 2017 / 3861

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 10 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अंतिम तर्क हेतु समय चाहे जाने पर न्यायहित में उन्हें समय दिया गया है। उनके द्वारा की जा रही इस कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	